

परियोजना का नाम :-

देघाट जौरासी मोटर मार्ग का निर्माण

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं
रिजर्व वन भूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में देघाट जौरासी मोटर मार्ग के निर्माण का नव निर्माण में प्रभावित 4.505 है० भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 9.010 है० भूमि ग्राम सड़का की सिविल बेनाप खाता संख्या 1 में वन पंचायत भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 2605म, 2618 एवं 2619म श्रेणी 9(3)ड राज्य सरकार की कृषि योग्य बंजर भूमि है, ग्राम सड़का की वन पंचायत भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण व रिजर्व वन भूमि घोषित करने की कार्यवाही की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कर दी जायेगी।



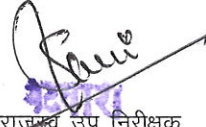
अमीन,
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.,
रानीखेत



प्रनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.,
रानीखेत



शीतलाखेत



राजेश्वर उप निरीक्षक,
गढ़वासी



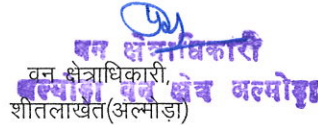
तहसीलदार
रानीखेत
गनीबेत (उत्तराखण्ड)



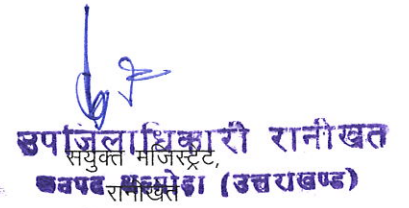
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.,
रानीखेत



वन क्षेत्राधिकारी,
रानीखेत (अल्मोड़ा)



उपजिलाधिकारी रानीखेत
सयुक्त मजिस्ट्रेट,
जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)